

सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण,

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400 096

टेलीफोन: 28294770, फ़ैक्स:28291754

ई-मेल:dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट:www.seepz.org.in

सं.सीपज़/सेज़/एजीआर/10-11/पार्ट फाइल/

दिनांक: 25.10.2016

परिपत्र संख्या 155

सीपज़-सेज़ तथा सीपज़ ++ के सभी यूनिटधारकों का ध्यान उप-पट्टा करार के प्रारूप प्रस्तुत किए जाने के मूद्दे की ओर आकर्षित किया जाता है:-

यह सूचित किया जाता है कि

- (i) यूनिट को पिछले उप-पट्टा करार के समाप्त होने की तारीख से 1 महीने के अंदर उप-पट्टा करार का प्रारूप प्रस्तुत करना है ।
- (ii) नए आबंटन के मामले में यूनिट को कब्जा प्राप्त करने की तारीख से एक महीने के अंदर उप-पट्टा करार प्रस्तुत करना है । ऐसे न करने पर यूनिट अर्थदंड (पेनाल्टी) का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

यह परिपत्र अध्यक्ष, सीपज़-सेज़, प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।



(विजय प्रकाश शुक्ल)

प्रबंधक (संपदा) / संयुक्त विकास आयुक्त

सीपज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रति:-

1. रत्न एवं आभूषण संकुल 1 से 3 में स्थित यूनिट
2. मानक अभिकल्प कारखाना एसडीएफ I से VI में स्थित यूनिट
3. जनपयोगी सेवाओं से संबंधित यूनिट
4. एसडीएफ VII में स्थित यूनिट
5. टॉवर I तथा II में स्थित यूनिट
6. बहुमंजिले भवन में स्थित यूनिट
7. सीपज़ ++ के भूखंडों पर स्थित यूनिट
8. सरकारी भूखंडों पर स्थित यूनिट

**SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.
Tel: 28294770, Fax: 28291754**

E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

No. SEEPZ/SEZ/AGR/10-11 Partfile

25.10.2016

CIRCULAR No. 155

Attention of all the unit holders in SEEPZ SEZ and SEEPZ++ are invited as the issue of submission of draft of sub-lease agreement.

It is informed that,

- (i) The Unit should submit the draft of Sub-lease Agreement within one month from the date of expiry of earlier Sub-lease Agreement.
- (ii) In respect of new allotment, the Unit should submit the draft of Sub-lease Agreement within one month from the date of possession.

Failing which the Unit will be liable to pay the penalty.

This circular is issued with the approval of Chairperson of SEEPZ SEZ Authority.



(V.P. Shukla)

JDC/ Manager (Estate)
SEEPZ-SEZ Authority

To,
Units in Gems & Jewellery Complex I to III,
Units in Standard Design Factory SDF I to VI,
Units relating to Public Utility.
Units in SDF-VII,
Units in Tower I & II,
Units in Multistoried Building,
Units in Plots in SEEPZ++,
Units in Government Plots.